न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 418 / 2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज ना0बा0 जरिये पुजारी श्री दुर्गालाल पिता भूरालाल उपाध्याय निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां

प्रार्थी

बनाम

1. हरजी पिता डालु बैरवा निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां
2. सोनाथ पिता भूरा बैरवा निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां
3. मदन पिता कजोड़ बैरवा निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां
4. किशन पिता कजोड़ बैरवा निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां
5. सत्यनारायण पिता देबीलाल गुंसाई निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां
6. उदालाल पिता रामचन्द्र गाड़री निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां
7. छोटीदेवी पत्नि नन्दराम ब्राम्हण निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां
8. सायरीदेवी पत्नि रणजीत जाट निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां
9. प्यारेलाल पिता लक्ष्मण बैरवा निवासी उम्मेदपुरा हाल चापानेरी तह0 भिनाय

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 15.07.2016

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम **उम्मेदपुरा** तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा मे स्थित खाता संख्या 32 के आराजी नम्बर 11 / 1098 रकबा 0.20 है0, आ0न0 99 / 1097 रकबा 0.06 है0, आ0न0 102 / 1096 रकबा 0.12 है0, आ0न0 103 / 1095 रकबा 0.08 है0, आ0न0 107 रकबा 0.62 है0, आ0न0 107 / 1094 रकबा 0.43 है0, आ0न0 108 रकबा 0.03 है0, आ0न0 109 रकबा 0.82 है0, आ0न0 110 रकबा 0.79 है0, आ0न0 111 रकबा 0.93 है0, आ0न0 112 रकबा 1.47 है0, आ0न0 113 रकबा 1.41 है0, आ0न0 114 रकबा 1.98 है0, आ0न0 115 रकबा 2.15 है0, आ0न0 116 रकबा 0.40 है0, आ0न0 129

रकबा 1.23 है0 आराजी कुल किता 16 रकबा 12.72 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम **उम्मेदपुरा** संवत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **उम्मेदपुरा** मे स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात किता 16 रकबा 12.72 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 2500/– रूपये (अक्षरे दो हजार/पॉच सौ रूपये मात्र) कायम किये जाते है जो प्रार्थी से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज **दिनांक 15.07.2016** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(एम0पी0 नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ,जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

15/7/16

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ,जिला–भीलवाड़ा
फूलियाकलां